पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई–निविदा

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा झालावाड़ एवं कोटा जिलों में साँची पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद के वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते है। वितरक सह–परिवहनकर्ता की नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 16.01.2026 को www.mptenders.gov.in से रू.500/– के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2.	ई–निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.01.2026 समय 12:00 बजे तक
3.	ई–निविदा ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 23.01.2026 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू 25,000/– (राशि रू. पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई–निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रू 500/– ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

वितरक सह–परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक–एक वर्ष कर निरंतर दो वर्ष हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 500.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

झालावाड़ एवं कोटा जिलों में साँची पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सहपरिवहनकर्ता कार्य हेतु ई–निविदा प्रपत्र

वर्ष 2026–2029

पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.01.2026 को www.mptenders.gov.in से समय 12:00 बजे से
2	ई–निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.01.2026 समय 12:00 बजे तक
3	तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 23.01.2026 एवं समय 02:00 बजे से, ऑन लाइन, उज्जैन दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.) राशि	**रू. 25,000/– (पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से**
5	दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु ''आवश्यक अर्हताऐं'' का प्रारूप	प्रपत्र 01
6	दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य की सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
7	दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा प्रपत्र	प्रपत्र 03
8	.''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- **निविदाकर्ता को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।**
- **निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेंजों की मूल प्रति उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में उज्जैन दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।**

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
(आई.एस.ओ.9001:2015,14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन कृमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9 /12/1977
GSTIN-23AAAAU0051C1ZB PAN No. AAAAU0051C

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अर्हताऐं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
उज्जैन।

महोदय,

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा झालावाड़ एवं कोटा जिलों में साँची पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक....................को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित द्वितीय अल्पकालीन ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर)		निविदाकार का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर) अंकित करें तथा तदाशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
1.1	एकल स्वामित्व / भागीदारी / जवाइंट वेंचर) कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व/ कंपनी / ज्वाइंट वेंचर की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी / प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है
1.2	निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 04 संलग्न करें।		निविदाकार (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.04 संलग्न करें।

स.क्र	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1.4	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप/एकल स्वामित्व/जवाइंट वेंचर) को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलिस थाने/मा.न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है।		तदाशय का शपथ पत्र रू 100/— के नोटराईज्ड स्टॉम्प (टिकट सहित) पर प्रस्तुत करें। निविदा प्रपत्र के प्रपत्र 05 में प्रारूप संलग्न है।
1.5	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		वाहन मॉडल निर्माण वर्ष 2022 के हो अथवा इसके बाद के वर्षो के हो, उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें अथवा नए वाहन लगाए जाने की दशा में रू 100/— के नोटराइज्ड स्टॉम्प (टिकट सहित) पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। **शपथ पत्र का प्रारूप निविदा प्रपत्र क्र.06 में अवलोकन हेतु संलग्न है।**
1.6	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य का वैध एफ. एस.एस.ए.आई. लायसेंस की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करे।
1.7	निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रू. 25,000/— (पच्चीस हजार रूपये) की रसीद संलग्न करें।
1.8	निविदाकर्ता को (फर्म/कम्पनी / एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) वित्तीय वर्ष 2021—2022, 2022—2023 एवं 2023—2024 का आयकर जमा रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर रिर्टन की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
1.9	निविदाकर्ता(फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) बैंक का विवरण		चालू खाते की निरस्त चैक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
1.10	म.प्र. राज्य में स्थित उद्यमी एम.एस. एम.ई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।		तदाशय के एम.एस.एम.ई के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें। केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी।

नोट :— (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को **स्वप्रमाणित प्रतियॉ ऑनलाईन रूप से स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य है।**

(2) उपरोक्त दस्तावेजो में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाए अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर ————————————————

नाम :— ————————————————

पता :————————————————

————————————————

मोबाईल नं ————————————————

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :–

1. यदि दो या दो से अधिक पात्र निविदाकर्ताओं द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा।

2. प्रतिभागी निविदाकार के पास वाहन मॉडल का निर्माण एवं पंजीयन वर्ष 2022 के ही हो अथवा इसके बाद के वर्षो के हो उपलब्ध होना अनिवार्य है। दूध एवं दुग्ध उत्पाद के उचित प्रशीतन हेतु उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए दूध वाहन में 04 इंच हैवी डेन्सिटी के थर्मोकोल या पफ इंसूलेशन 02 इंच जिसमें तापमान 02 से 04 डिग्री निर्धारित हो, इंसुलेटेड वाहन का होना अनिवार्य है। नए वाहन लगाए जाने की दशा में एक माह की अवधि में उक्त वाहन संलग्न करेंगें।

3.1 सफल निविदाकार जो कि नए वाहन क्रय कर दुग्ध संघ में संलग्न करेंगे उन्हे एक माह की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित इंसूलेटेड वाहन तैयार कर (इंसूलेशन, तापमान एवं क्षमता) लगाना होगा। यदि कतिपय कारणो से नया वाहन एवं वाहन संबंधि समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करने में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।

3.2 निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप निविदा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।

3.3 केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑनलाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलन करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र संलग्न किए ऐसी निविदाएं अपात्र घोषित की जाएंगी।

3. निविदा स्वीकृत होने एवं अनुबंध निष्पादित होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।

4. **निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को बतौर प्रतिभूति राशि रू. 1,00,000/–एक लाख मात्र जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएगे। प्रतिभूति राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की प्रदायगी नही की जाएगी। नगद प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**

5. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को होगा साथ ही निविदाकार के ऐसे निविदा निरस्त समझा जाऐगा।

6. प्रतिभागी निविदाकार को दरें केवल ओर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।

7. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास निहित होगा।

8. निविदा स्वीकृति के पश्चात् परिवहनकर्ता की कार्य अवधि कार्य आरम्भ करने की दिनांक से तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।

9. पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार द्वितीय पक्ष की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूली करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ को होगा। जिसकी गणना मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं औसतन किलोमीटर के आधार पर की जाऐंगी।

11. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के डेरी प्लांट उज्जैन से झालावाड़ एवं कोटा जिलों हेतु प्रदायगी दी जावेगी। प्रतिभागी निविदाकार विपणन मार्ग का अध्ययन करने के उपरांत ही प्रति लीटर पर अपनी दरें समस्त व्यय एवं कर सहित प्रस्तुत करेंगे।
12. निविदा प्राप्ति की तिथी व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।

12.1 परिवहनकर्ता द्वारा न्यूनतम 2160 लीटर प्रतिदिन विक्रय करने पर ही परिवहन दरें मान्य की जावेगी।

12.2 परिवहनकर्ता द्वारा 2160 लीटर प्रतिदिन से अधिक वृद्धि होने पर आवश्यकता अनुसार उचित क्षमता का इंसुलेटेड वाहन परिवहन हेतु लगाना अनिवार्य होगा।

12.3 वितरक सह–परिवहनकर्ता को समस्त प्रदायगी अग्रिम भुगतान पर ही दी जावेगी।

12.4 वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं/अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन से उज्जैन डॉक से प्रदायगी दी जावेगी।

12.5 वितरक सह–परिवहनकर्ता के वाहन में दुग्ध संघ द्वारा संचालित जीपीएस सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा, जिसका व्यय वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

12.6 वितरक सह–परिवहनकर्ता केवल राजस्थान राज्य के झालावाड़ एवं कोटा जिलों में साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय करेगा। वर्तमान में उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा म.प्र. राज्य के भीतर एवं म.प्र. राज्य के बाहर जिन स्थानों पर साँची दूध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी की जा रही हैं, उन स्थानों पर वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायगी नही की जावेगी अन्यथा कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

12.7 दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन डॉक से प्रदायगी देने के पश्चात् समस्त वैधानिक जवाबदारी वितरक सह–परिवहनकर्ता की ही रहेगी।

13. **निविदाकार यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई–निविदा है। अतः निविदाकार, निविदा के नियम एवं शर्तो को ध्यान से पढ़े एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजो में काट–छांट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।**
14. **सफल निविदाकार को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकार द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का निणर्य सर्वोपरी होगा।**
15. **प्रतिभागी निविदाकार निविदा में चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें अन्यथा प्रत्येक दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाये जाने की स्थिति में ऐसी निविदाओं को अमान्य किया जाएगा।**
16. निविदाकार परिवहनकार्य संबंधि प्रपत्र क्र.01 में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजो की प्रति संलग्न करें। आवश्यक अर्हताओं के दस्तावेजों में किसी भी प्रकारी की काट छाट न करें एवं ओव्हरराइटिंग न करें। अन्यथा शब्दो में भिन्नता एवं ओव्हरराइटिंग पाये जाने पर ऐसी निविदाएं निरस्त होंगी।
17. निविदाकार निविदा में डीजल की दरों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन दरें प्रस्तुत करे। अनुबंध अवधि में यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों पर परिवहन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदाकार को आगामी निविदाओं के लिए अपात्र घोषित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
18. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदाकार को प्रपत्र क्र.01 में मांगे गए आवश्यक अर्हताओं के अंतर्गत वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति जो कि उसके द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई थी, की मूलप्रतियाँ एवं जीएसटी नंबर एवं गुमास्ता लायसेंस एक माह के अंदर विपणन कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कतिपय कारणों से दस्तावेजों की मूलप्रतियाँ प्रस्तुत नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का निर्णय सर्वोपरी होगा।
19. अनुबंध अवधि में वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर संबंधित वितरक सह–परिवहनकर्ता को उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर ही मान्य की जाऐंगी। स्वीकृत परिवहन दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जाऐगा।

20. निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो निविदाकार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।
21. **यदि वर्तमान में कार्यरत किसी वितरक सह–परिवहनकर्ता की दरें स्वीकृत होती हैं तो समस्त लेनदारी देनदारी उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जाएगा।**
22. **निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।**
23. **वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग पर स्थित समस्त विक्रय केन्द्रों से दूध एवं दुग्ध उत्पाद की मांग लेकर एकजाई मांग दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी तथा प्रतिदिन दोनों समय की विक्रय केन्द्रवार मांग की जानकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।विक्रय केन्द्रवार प्रतिदिन मांग अनुसार वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं के स्तर पर चालान शीट तैयार करनी होगी एवं ई–मेल के माध्यम से सॉफ्टकॉपी एवं छायाप्रति प्रतिदिन तथा मासिक आधार पर संघ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**
24. **सफल निविदाकार को दुग्ध संघ द्वारा 50 पैसे प्रतिलीटर मार्जिन प्रदान किया जाएगा। जिसमें समय–समय पर वृद्धि का निर्णय दुग्ध संघ द्वारा किया जाएगा। विक्रय केन्द्रों की लीकेज की भरपाई सफल निविदाकार को करनी होगी।**
25. **निविदाकार को निविदा में वर्णित दर में केवल परिवहन दर ही अंकित करनी होगी। आवंटित मार्ग में निर्धारित किलोमीटर का भुगतान प्रतिमाह प्रस्तुत किए गए देयकों के नियमानुसार सत्यापन पश्चात् किया जाएगा। निविदाकार को अनुबंध अवधि में स्वीकृत दरों पर ही परिवहन किए गए दूध की मात्रा का प्रतिलीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। निविदाकार को संस्थाओं को प्रदाय किए गए दुग्ध की मात्रा पर वितरक कमीशन देय नही होगा केवल संस्थाओं तक प्रदाय किए गए दुग्ध की मात्रा के विरूद्ध सत्यापित किलोमीटर का ही भुगतान किया जाएगा।**
26. **सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट खोलना अनिवार्य होगा। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुगमता से उपलब्ध हो सके।**

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 26 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम

हस्ताक्षर–

प्रपत्र क्र. 03

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दरें (अंको में) प्रति लीटर	परिवहन दरें (शब्दों में) रू प्रति लीटर
1.	झालावाड़ एवं कोटा		

नोटः– निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकार ऑन लाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता न हो। यदि अंको में भिन्नता होगी तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
(आई.एस.ओ.9001:2015,14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन कृमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिंनाक 9 /12/1977
GSTIN-23AAAAU0051C1ZB
PAN No. AAAAU0051C

प्रपत्र क्रमांक – 4

साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा–प्रपत्र

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो

1. निविदाकर्ता का नाम ....

(फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप फर्म / एकल स्वामित्व)

2. पिता / पति का नाम ....

3. स्थाई / वर्तमान पता ....

....

....

4. दूरभाष / मोबाईल नं. ....

5. ई–मेल एड्रेस ....

6. वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु शहर का नाम ....

7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) ....

....

8. (अ) पेन नम्बर ....

(ब) FSSAI ....

(स) आधार कार्ड नम्बर..

9. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर ....
(समस्त दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची पैक्ड दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम

प्रपत्र क्र.''5'

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि मेरे/हमारे द्वारा झालावाड़ एवं कोटा जिलों में दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक .... (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

1. गवाह
   नामः-...
   पताः- ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...
2. गवाह
   नामः-...
   पताः- ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 एवं 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

प्रपत्र "6"

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/— के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि यह कि मेरे/हमारे द्वारा झालावाड़ एवं कोटा जिलों में दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि यदि मेरी/हमारी निविदा नियमानुसार स्वीकृत होती है तो मै/हम दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित क्षमता, मॉडल एवं पंजीयन तथा तापमान के वर्ष 2022 के पंजीकृत तथा मॉडल अथवा इसके बाद के वर्षो के इंसूलेटेड वाहन एक माह के अंदर संलग्न करूंगा। इस हेतु मै/हम अपना शपथ पत्र निविदा की तकनीकी अर्हता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**